

प्रेषक,

मनोज कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 15 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-466/रा0उ0शि0प0/4/10 II, दिनांक 27.10.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रू0 36,95,000/- (रूपये छत्तीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र०सं०	को-ऑर्डिनेटर/विभाग का नाम	विषय/शीर्षक	संस्तुत की गयी धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर				
1	Prof. Vandana Rai (Department of Biotechnology)	Molecular Study of Non-communicable diseases (NCDs) in Eastern Uttar Pradesh Population	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा	12500
			योग	417500
2	Dr. Dharendra Kumar Chaudhary (Centre for Renewable Energy, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and research, VBS Purvanchal University)	Monolithic Growth of Organohalide Perovskite Single Crystals for Efficient and Stable Solar Cell Devices via Space Confined Method	उपकरण आदि	200000
			आकस्मिकता	100000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	12500
			योग	462500
3	Prof. Devraj Singh (Department of Physics, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) Institute of Physical Sciences for Study and	Design and Development of Perovskite Solar Cells on Biodegradable Paper Substrates	उपकरण आदि	400000
			आकस्मिकता आदि	25000
			उपभोज्य सामग्री आदि	50000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	research, VBS Purvanchal University)		योग	475000
4	Prof. Avinash D. Pathardikar (Department of HRD, Faculty of Management Studies)	This practise of identifying the wisdom of the Indian scriptures and Vedas will be initiated by te centre of excellence.	पुस्तकें आदि	50000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपभोज्य सामग्री/स्टेशनरी	40000
			यात्रा/फील्ड वर्क/डाटा कलेक्शन	40000
			मुद्रण पर व्यय	60000
			योग	370000
1. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय , कानपुर				
1	Dr. Rajesh Pratap singh (Department of Physical Educationd and Sports)	Talent Indentification Through Sports Anthropometry to Enhance the Performance	उपभोज्य सामग्री	50000
			उपकरण	150000
			यात्रा	10000
			पुस्तकें	5000
			आकस्मिकता	25000
			योग	240000
2	Dr. Vinod Kumar Verma (Department of Life Science)	Heavy Metals and their Impacts on Histology and Chromosomal Aberration in the Fishes of River Ganga in Kanpur District (U.P.)	साक्सलेट एक्सट्रैक्शन यूनिट मेंटल टाइप	40000
			माइक्रोटोप	50000
			माइक्रोस्कोप	90000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			आकस्मिकता	25000
			फील्ड वर्क	5000
			यात्रा	5000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			योग	455000
			3	Prof. Sudhir K. Awasthi (Department of Life Science)
केमिकल्स /उपभोज्य सामग्री	200000			
ग्लासवेयर/प्लास्टिक वेयर्स	100000			
लघु उपकरण	200000			
आकस्मिकता	35000			
योग	715000			
4	Prof. Sanjay Swarnkar (Department of School of Languages)	Centre of Excellence in Modern English Literature	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा	15000
			उपकरण	60000
			योग	305000
2. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय , बरेली				
1	Dr. Meenakshi Dwivedi (Department of Education (IASE))	Developing MOOC on Fundamentals of Online & Blended Teaching for Professional Development of Pre-	उपकरण एवं अध्ययन सामग्री	100000
			प्रिपेरेशन आफ टीएलएम , एसेसमेंट, प्रेजेन्टेशन्स, आनलाइन,	50000

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		Service & In-Service Teachers	रीफरेन्स मैटेरियल आदि	
			वीडियो प्रोडक्शन	50000
			ट्रेवल एण्ड फील्ड वर्क एण्ड हियरिंग सर्विस	10000
			उपभोज्य सामग्री	20000
			आकस्मिकता	25000
			योग	255000
			सम्पूर्ण योग	3695000

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।
- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
- (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (13) प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा। साथ ही परियोजना पूर्ण होने की सूचना भी शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-3485-दस-2021-22 दिनांक 07 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
अनु सचिव